<u>अति महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या- 13/2025/125/सैतालीस-का-5-2025-(1767456)</u>

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 10-03-2025**

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा संबंधी समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या-07/2023/293/सामान्य/सैतालीस-का-4-2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 द्वारा राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है, तथा इसकी उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जा रही है।

2- प्रकरण में शासनदेश संख्या- 02/2025/08/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 17.01.2025 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर कार्मिकों की सर्विस बुक संबंधी समस्त सूचना यथा नाम, पदनाम, विभाग, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश, इत्यादि एक पक्ष में अद्यतन कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी यह देखा जा रहा है कि अभी भी विभिन्न विभागों में मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से पूर्ण रूप से समस्त कार्य सम्पादित नहीं किये जा रहे है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिनांक 01 अप्रैल, 2025 से पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूल्स यथा ऑनलाइन सर्विस बुक अपडेशन, अवकाश आवेदन एवं स्वीकृति, वार्षिक सम्पत्ति विवरण (APR), वार्षिक गोपनीय आख्या (ACR) / वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR), वेतन आहरण, कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मेरिट बेस्ड ऑनलाइन स्थानान्तरण के संबंध में यथा समय स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्यवाही की जाए। कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई-ऑफिस डैसबोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।